राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 868 व 869 / 2017..जिला–उदयपुर

मैसर्स नाकोडा फर्नीचर आर्ट एण्ड क्राफ्ट,उदयपुर बनाम अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम, वृत–बी, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2017	खण्डपीठ श्री के.एल.जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। उपर्युक्त दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर के पारित आदेश दिनांक 02.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–बी,उदयपुर द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.12.2016 में सृजित मांग राशियों में से क्रमशः रू. 22,54,290 / – एवं रू. 27,65,783 / –की वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रू. 21,00,000 / – एवं रू. 26,00,000 / –की वसूली को आगामी तारीख पेशी 06.09.2017 तक कतिपय शर्तो के साथ वसूली को स्थगित रखते हुए शेष रू.1,65,783 / – एवं रू. 1,54,290 / –की वसूली पर रोक लगाने से इनकार किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रू.1,65,783 / – एवं रू. 1,54,290 / –की वसूली कार्यवाही को अपील निर्णय तक स्थगित रखे जाने का निवेदन किया गया है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपायुक्त(प्रशासन)द्वारा अधिकारिता प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण मांग सृजित की गई है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को दिनांक 05.05.2011 को देना बताया परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं करना बताया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रमाण पत्र जारी होने या आवेदन अस्वीकार होने सम्बन्धी तथ्य अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें एवं अपीलीय अधिकारी दो माह में इसका निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति जरिए उपायुक्त(प्रशासन) उदयपुर के सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया। 4/7/2017 (मदन लाल मालवीय) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	